



199

200

C.F.F. 151 - 2

R-196-II/2001

श्री एस्. के. श्रीवास्तव - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 30/11/01 को प्रस्तुत।

राजस्व सृण्डल म० प्र० ग्वालियर
अवर सचिव

न्यायालय श्री मान् माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

30 JAN 2001

निगरानी प्रक० क्रमांक:

सत्र-

1. रहीम खां तनय मेहताब खां
2. रहमान खां तनय श्री मेहताब खां
निवासीगण ग्राम कुराहा तह० नौगांव
जिला-छतरपुर (म०प्र०)

आवेदकगण
पुन 01/12/01 33/1

वनाम्

1. दिलशेर खां तनय श्री पहाड़ खां नि० कुराहा
श्रीमती कदीरन पत्नी श्री गुलशेर खां
मुफीद खां तनय श्री करामत खां
अकबर खां तनय श्री करामत खां
मुहम्मद खां तनय श्री दिलावर खां
अहमद खां तनय श्री दिलावर खां
निवासीगण ग्राम कुराहा तहसील नौगांव
जिला-छतरपुर (म०प्र०)

माननीय न्यायालय के डायरी नं०
दिनांक 14/6-2003 के
पुनरीक्षण के निमित्त प्रस्तुत है।
श्री एस्. के. श्रीवास्तव
एडवोकेट
द्वारा आज दि. 30/11/01 को प्रस्तुत।

अनावेदकगण
पुनरीक्षण


म०प्र० म०राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय आयुक्त सागर
संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 33/अ-6/95-96
में पारित आदेश 12-12-2000 के विरुद्ध।

मान्यवर महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण सविनय पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

B
re

28/1/2001



20.9.16.

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
 ਲਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀ
 22(4) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ
 ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
 ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ

[Handwritten signature]